भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 312
27 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लागू योजनाएं

312. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित संभाजी नगर (औरंगाबाद) और दादरा और नगर हवेली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा दादरा और नगर हवेली में उक्त योजनाओं से लाभान्वित और अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

सरकार द्वारा उक्त योजनाओं को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचे, क्या सकारात्मक कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में, विशेषकर संभाजी नगर (औरंगाबाद) जिले में अब तक उठाए गए कदमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने तीन विभागों; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के माध्यम से देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष (एसटीआई) पारितंत्र के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। सभी योजनाएँ अखिल भारतीय स्तर पर लागू की जाती हैं और ये किसी राज्य अथवा जिले के लिए विशिष्ट नहीं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तीन छत्र योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है; (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत और मानव क्षमतावर्धन, (ii) अनुसंधान और विकास और (iii) नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन तथा दो राष्ट्रीय मिशन, (i) राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञानशाखागत साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) और (ii) राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम)। जैव प्रौद्योगिकी विभाग 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवोन्मेष और उद्यमिता विकास (बायो-आरआईडीई)' योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तीन व्यापक घटक अर्थात् (i) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (आर एंड डी); (ii) औद्योगिक और उद्यमिता विकास (आई एंड ईडी) और (iii) जैव

निर्माण और बायोफाउंड्री हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) अपने प्रमुख कार्यक्रम 'औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)' के माध्यम से देश में औद्योगिक अनुसंधान को उद्योग और संस्थाविनिर्दिष्ट ऐसे अभिप्रेरक कार्यक्रम और प्रोत्साहन के माध्यम से बढ़ावा दे रहा है, जिससे नवीन प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का विकास और उपयोग करने का वातावरण संभव हो रहा है।

इन योजनाओं के तहत विभिन्न घटक, भिन्न-भिन्न स्तरों पर फेलोशिप के माध्यम से मानव क्षमतावर्धन; शैक्षणिक संस्थानों में उन्नत अनुसंधान एवं विकास उपकरण सुविधा केंद्रों की स्थापना के माध्यम से संस्थागत क्षमतावर्धन; मौलिक विज्ञान के साथ-साथ अंतरणीय प्रक्षेत्रों में अनुसंधानवर्धन; अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोगात्मक अनुसंधानवर्धन; उद्यम-शैक्षणिक समुदाय सहयोग के माध्यम से औद्योगिक अनुसंधानवर्धन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता सहायता में व्यापक रूप से योगदान करते हैं। ये योजनाएँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) में स्त्री-पुरुष समानता प्राप्ति हेतु महिलाओं की भागीदारी; समाज के अपहित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी बेहतरकारी उपायों के विकास; आदि को भी बढ़ावा देती हैं।

(ख) से (ग): ये सभी योजनाएँ प्रतिस्पर्धात्मक मोड में लागू की जाती हैं, जो देशभर के अनुसंधानकर्ताओं और संस्थानों को किसी विशेष राज्य अथवा जिले पर ध्यान केंद्रित किए बिना, समान अवसर प्रदान करती हैं। फलस्वरूप, इन योजनाओं के लाभार्थी भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली राज्यों में जिन व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं ने अपने स्वयं के व्यवसाय की स्थापना करने में सहायता प्राप्त की, उनकी संख्या, क्रमशः 49, 04 और 0 है।

(घ) सभी प्रकार की वित्तीय सहायता के आवेदन/अनुसंधान प्रस्ताव के आह्वान इन योजनाओं के अनुसार ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो देशभर के सभी अनुसंधानकर्ताओं/संस्थानों के लिए अभिगम्य हैं। ऐसे प्रस्ताव आह्वान की जानकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल आदि के माध्यम से प्रसारित की जाती है ताकि इन योजनाओं के लाभ देशभर के सभी वर्गों के हितधारकों तक पहुंच सकें।

(ङ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) की अनुक्रिया के अनुसार, सभी योजनाएँ अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई हैं और कोई विशिष्ट कदम संभाजी नगर (औरंगाबाद) जिले सहित जिला-स्तर पर नहीं उठाए गए हैं।

*****